यह पुलिस किसकी है?

शोभाशर्मा, चारी

अगर हम देश के किसी भी राज्य में लोगों से पूछें कि आपको पुलिस से क्या शिकायत है तो आम तौर पर उनके उत्तर होंगे: पुलिस का व्यवहार निरंकुश या मनमाना होता है, उसकी जांच घटिया होती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, पुलिस भ्रष्ट है, बच्चों और औरतों के प्रति संवेदनशील नहीं है, गरीब विरोधी है या गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव करती है, लोगों को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार या बंद करती है, दर्ज किए गए मामलों की सूचना नहीं देती या उन पर कार्रवाई नहीं करती, नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, यातना और हिंसा का इस्तेमाल करती है, अपराध की तुलना में अधिक शक्ति का इस्तेमाल करती है, राजनीतिज्ञों, प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों के इशारे पर काम करती है। जनता और पुलिस के बीच चौड़ी खाई है।

अगर हम लोगों से पूछें कि पुलिस को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे क्या हैं, अधिकांश लोग यह कहेंगे कि पुलिस का काम कठिन है, पुलिस के अधिकांश सदस्यों (गैर आईपीएस) को, जो पुलिस बल का अधिकांश हिस्सा हैं, कम वेतन मिलता है, लम्बे समय तक काम करना पड़ता है, उपयुक्त प्रशिक्षण और प्रभावी निरीक्षण नहीं मिलता, काम की स्थिति ठीक नहीं है, इस सब के कारण वह कमजोर हो जाते हैं और भ्रष्टाचार एवं जोड़-तोड़ के शिकार हो जाते हैं।,

इन समस्याओं को पुलिस की ज्यादतियों और मनमानियों की सफाई के रूप में पेश नहीं किया जा रहा है बल्कि उन लोगों की कठोर, कुरूप कार्य करने की वास्तविकता के रूप में लिया जा रहा है, जिन्हें हम अपने जीवन और सम्पत्ति की रक्षा का भार सौंपते हैं। तो फिर इन स्थानिक समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग कैसे उस पुलिस सेवा को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमारी जनता अधिकारी है, जो उसे मिलनी चाहिए। क्या हमारी पुलिस को अधिक जनता केंद्रित होना चाहिए? भारत एक लोकतंत्र (*डेमोक्रेसी*) है। *डेमोक्रेसी* शब्द ग्रीक शब्द '*डेमोस*' से निकला है जिसका अर्थ लोग या जन होता है और '*क्रेटोस*' का अर्थ 'शक्ति' होता है। दूसरे शब्दों में *डेमोक्रेटोस* 'लोगों को शक्ति प्रदान' करना है। इसी तरह हिन्दी में लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन की व्यवस्था जिसमें जनता शामिल है। अत: लोकतंत्र में पुलिस की क्या भूमिका है?

1. यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि लोकतांत्रिक समाज की परिभाषित विशेषता ऐसा पुलिस बल/ सेवा है, जो मानव गरिमा के प्रति सम्मानपूर्ण मूल्यों को मूर्त रूप प्रदान करते हुए किसी शक्तिशाली नेता या पार्टी के नहीं, कानून के शासन के अन्तर्गत है।

2. किसी नागरिक के जीवन में केवल सीमित और सावधानी से नियंत्रित परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सके।

3. सार्वजनिक रूप से जवाबदेह हो।

ये शर्तें लोकतंत्र में पुलिस के लिए सहज, स्वाभाविक हैं। फिर हम अपनी पुलिस को उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन करने के स्थान पर उल्लंघन करते हुए क्यों देखते हैं? इस प्रवृत्ति को कैसे बदला जा सकता है?

इन प्रश्नों पर स्वतंत्रता के बाद अनेक आयोगों और समितियों ने विचार किया है। फिर भी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1978-81), रिबेरियो समिति (1998-99) और पद्मनाभिया समिति (2000) सभी ने इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। ये रिपोर्टें आलमारियों में धूल फांकती रहीं, जबकि लोग निकम्मी पुलिस व्यवस्था, कमजोर नेतृत्व और जनता एवं पुलिस के बीच असंतोष को पाटने में असमर्थ राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में कष्ट उठाते रहे। यह खाई दिनों दिन चौड़ी होती गई। हाल ही में पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने वाली समिति (2006) ने गृह मंत्रालय को एक *माडल पुलिस एक्ट* सौंपा। हमें नहीं मालूम इस अधिनियम का क्या हुआ।

फिर सितम्बर 2006 में उच्चतम न्यायालय ने 10 वर्ष पुरानी एक जनहित याचिका, *प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारतीय संघ* और अन्य पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पुलिस सुधारों के बारे में सभी रिपोर्टों और सिफारिशों पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सात आदेश किए। न्यायालय ने कहा कि ये आदेश पुलिस व्यवस्था की कुछ गहरी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। अदालत ने अनुभव किया कि यह कदम उठाना जरूरी है क्योंकि सरकार इस मामले में धीरे- धीरे कार्रवाई कर रही है। यह पाया गया कि यह विषय इतना जरूरी है कि उच्चतम न्यायालय को देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करना जरूरी हो गया है।

ये आदेश क्या हैं और उनका पुलिस के रोजाना के कामकाज पर, जनता के अनुभव पर क्या प्रभाव पडेगा?

आदेश नं. 1 राज्य सुरक्षा आयोग बनाइए जो - राज्य सरकार द्वारा पुलिस पर अनुचित दबाव को रोके, -नीति संबंधी दिशा निर्देश जारी करे; और - पुलिस के कामकाज का मूल्यांकन करे।	यह संगठन पुलिस के कामकाज पर नियमित रिपोर्ट मांग सकता है और आपको, जनता को संतुष्ट कर सकता है। इसका अर्थ है पुलिस को आपसे यह पूछना पड़ सकता है कि आप उनके काम से कितने संतुष्ट या नहीं हैं। और अगर नहीं है तो क्यों? पुलिस को आपको संतुष्ट करने के उपाय करने होंगे। सिविल सोसाइटी के सदस्य भी राज्य सरकार, विपक्ष और पुलिस नेताओं के साथ इस संगठन में बैठ सकते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे कि पुलिस को कैसे जनता केन्द्रित बनाया जाए इस पर फैसला कर सकते हैं।
आदेश 2: यह सुनिश्चित कीजिए कि पुलिस महानिदेशक को योग्यता आधारित पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्त किए जाए और उन्हें कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल दिया जाए।	राज्य के सर्वोच्च पुलिस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति योग्यता पर, पक्षपात पर नहीं, निर्भर करेगी। इससे सम्पूर्ण संगठन में संदेश जाएगा कि उनके मुखिया या प्रमुख की नियुक्ति उस आधार पर हुई है, जिसे हर व्यक्ति देख सकता है और उसे केवल कानून द्वारा निर्धारित आधार पर हटाया जा सकता है। उसे राजनीतिक नेताओं की मन मर्जी पर नहीं बदला जा सकता। पुलिस महा निदेशक को यह भय नहीं रहेगा कि उसकी नौकरी चली जाएगी। अगर यह पद सुरक्षित नहीं है तो पु. म. नि. उन लोगों को खुश करने का अधिक प्रयास करेगा जो उसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जनता के हित में काम करने अथवा राज्य पुलिस का नेतृत्व करने में उसकी दिलचस्पी नहीं होगी।
आदेश 3: यह सुनिश्चित कीजिए कि क्षेत्र में अथवा अभियान में लगे पुलिस अफसरों जैसे आईजी (जोन) डीआईजी(रेंज), एसपी (जिला) और एसएचओ का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का हो।	वही सुरक्षा जो डीजीपी को दी जाती है आईजी जोन, डीआईजी रेंज, एसपी जिला और एसएचओ को भी दी जाए ताकि वे अपनी बदली या स्थानान्तरण के लिए परेशान न हों। वे अपना काम ठीक ढंग से करें और दो वर्ष के पहले केवल निर्दिष्ट लिखित कारणों से हटाए जा सकें। पद अवधि की सुरक्षा का अर्थ यह होगा कि अधिकारी उन शक्तिशाली लोगों के इशारे पर काम करने की अपेक्षा, जो उन्हें उनके पद पर बनाए रखते हैं, अपने काम में अधिक दिलचस्पी लेंगे, वे अपने काम का अच्छी तरह निरीक्षण करेंगे, अपने मातहत कर्मचारियों का बेहतर प्रबंध करेंगे ओर डीजीपी के लिए कार्य करेंगे, जो इनके कार्य का मूल्यांकन करते हैं।
आदेश 4: पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना कीजिए जो डिप्टी सुपरइनटेनडेंट और उनसे नीचे के अधिकारियों के स्थानांतरण, पदोन्नति, तैनाती, और अन्य सेवा संबंधी मामलों का फैसला करेगा और डीएसपी से ऊंचे अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानान्तरण करेगा।	अगर पुलिस संगठन को अपने स्थानातंरण, पदोन्नति, नियुक्तियां आदि स्वयं करने दिया जाता है तो मंत्री महोदय के कार्यालय से स्थानातंरण के आदेश आने की संभावना समाप्त हो जाएगी। लोगों का स्थानातंरण या तैनात करने का आधार पुलिस की जरूरतों पर आधारित होता है, वह किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं और पक्षपात पर आधारित नहीं होता है।
आदेश 5: राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग बनाइए जो केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के चयन के लिए 'पैनल' तैयार करेगा, जिसकी कार्य अवधि कम से कम दो वर्ष होनी चाहिए।	राज्य सुरक्षा आयोग की तरह यह संगठन सभी केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के लिए चयन पैनल तैयार करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इन बलों का प्रयोग उन कार्यों के लिए हो जिनके लिए उन्हें बनाया गया था, और उनके बीच उचित समन्वय हो। यह संगठन यह सुनिश्चित कर सकता है कि सीमा सुरक्षा बल(बीएसएफ), या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्सेज (सीआरपीएफ) जैसे बलों का पूर्वोत्तर भारत में दुरुपयोग न हो।

आदेश 6: राज्य और जिलास्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित कीजिए।	राज्यों की राजधानी और प्रत्येक जिले में पुलिस शिकायत प्राधिकरण केवल पुलिस के विरुद्ध जनता की शिकायतों पर विचार करेगा, उनकी जांच करेगा और एफआईआर दायर करने या वैभागिक कार्रवाई करने की सिफारिश करेगा। इन पर कार्रवाई करना जरूरी होगा। अगर इन प्राधिकरणों का गठन किया जाता है और उन्हें उपयुक्त साधन उपलब्ध कराए जाते हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं कि ये 'अधिकारी' पुलिस से स्वतंत्र होंगे और इसलिए पुलिस के गलत कामों को बचाने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ये संगठन यह सुनिश्चित करेंगे कि गंभीर शिकायतों पर विचार किया जाए अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए।
आदेश 7: जांच और कानून एवं व्यवस्था के काम को अलग कीजिए।	चोरी, अपहरण, हत्या, बलात्कार और घरेलू हिंसा जैसे अपराधों की जांच करना, जब साम्प्रदायिक तनाव हो, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कानून और व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस को प्रशिक्षित, कुशल और समर्पित बनाने से जांच का कार्य और सुचारु होगा ओर आपकी सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। 'कानून और व्यवस्था' बनाए रखने की ड्यूटी में लगी पुलिस को जांच का कार्य नहीं करना होगा, जैसा इस समय होता है। वे लोग अपना पूरा ध्यान अपने काम पर दे सकेंगे।

इस समय कुछ राज्य उच्चतम न्यायालय के कुछ आदेशों को कार्यान्वित कर रहे हैं, कुछ उसका पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। कुछ अपने पुलिस कानून बना रहे हैं। जिस तरह वे थोड़ा थोड़ा यह कर रहे हैं, उनके प्रयासों का नतीजा विशेष नहीं हो सकता। आइए! हम इस बात पर विचार करें कि उच्चतम न्यायालय के

आदेशों से पुलिस से जुड़ी मुख्य समस्याओं का समाधान कैसे होता है? उच्चतम न्यायालय ने सभी सरकारों से कहा कि उन्हें इन आदेशों का पालन करना चाहिए अथवा कानून बनाने चाहिए - यानी उन्हें अपने राज्य में नए पुलिस कानून बनाने चाहिए, जो इन समस्याओं का समाधान करें। हमारे अधिकांश राज्यों में और हमारे सभी संघ क्षेत्रों में पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट के आधार पर कार्य करती है, जिसे अंग्रेजों ने 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद कानून का रूप प्रदान किया।

अगर इन आदेशों को उस भावना के अनुरूप कार्यान्वित नहीं किया जाता है, जिसमें ये जारी किए गए, अगर नए कानून बनाए जाते हैं लेकिन उनमें सुधार और परिवर्तन की भावना नहीं है, जैसा अदालत का इरादा था– जनता लोकतंत्र में पहले की तरह हाशिये पर डाल दी जाएगी, जबकि राजनीतिक जीवन और संस्थाओं में उसका केन्द्रीय स्थान होना चाहिए। अदालत के सात आदेशों में से दो विषय ऐसे हैं जिनमें जनता के सदस्यों की सीधी आवाज हो सकती है। इन दो विषयों में जनता से परामर्श करने की अब तक कोई जरूरत नहीं समझी गई। यह जनता को अपनी आवाज मुखरित करने, अवसर देने और जनता-केन्द्रित *पुलिससिंग* की ओर बढने का एक तरीका है। राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस शिकायत प्राधिकरण चयन की पारदर्शी विधि से जनता के सदस्यों को अपने संगठन में शामिल कर सकते हैं। हमें इन संगठनों के कार्य को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और तब तक आन्दोलन करते रहना चाहिए जब तक हम अपनी पुलिस को सच्चे अर्थों में जनता केन्द्रित संगठन का रूप नहीं दे देते।

ये आदेश उस समय तक, अधिकाशंतः कागज में ही रहेंगे, जब तक हम जनता को प्रत्येक वस्तु में केन्द्रीय स्थान नहीं देंगे। सुप्रसिद्ध कवि दुश्यन्त कुमार के शब्दों में ''यह जानकर कि संघर्ष किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, मेरे गांव के लोगों ने संघर्ष शुरू कर दिया है।'' सरकार क्या करने पर सोचने और कुछ करने पर मजबूर होगी? क्या करने पर हमारी पुलिस जनता की सेवा पहले, और सबसे पहले, करेगी? केवल जनता इच्छा शक्ति से ऐसा होगा। ••